

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—भाद्र 1, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र. बी-11-6-2013-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011-04-2004-क्रेडिट-II, दिनांक 24 जुलाई 2014 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मौसम खरीफ 2014 की तहसील स्तर की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2014 को जारी की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2014 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कपास फसल की प्रीमियम राशि 12.00 प्रतिशत के स्थान पर 6.5 प्रतिशत किया जाता है एवं शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना अनुसार ही रहेगी. अतः कपास फसल हेतु राज्य शासन द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.